Action for Social Advancement (ASA)

संस्था की कार्यों को प्रकाशित/प्रदर्शित करने संबंधी नीति (Transparency policy of the organisation)

संस्था द्वारा मध्यप्रदेश व बिहार राज्यो के विभिन्न जिलों **में अनेक** परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जो जल संसाधन एवं भूमि विकास (**Land and Water Resource Development**) एवं कृषि उत्पादन विकास संबंधित हैं।

किसी भी परियोजना/कार्यक्रम के अंतर्गत की गई गतिविधियों के व्यय के तीन घटक होते हैं– दाता निधि (Donor's Fund), अन्य स्त्रोतों से अभिसरण (convergence) और एवं लाभार्थियों द्वारा सामुदायिक अंशदान।

किसी भी परियोजना को पूर्ण करने हेतु दाता निधि एवं सामुदायिक अंशदान के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से जो राशि प्राप्त की जाती है उसे साधारणतः अभिसरण (convergence) कहते है। यह प्रायः शासकीय परियोजनाओं जैसेकि, महात्मा गांधी न.रे.गा. योजना अथवा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न विस्तार योजनाएं शामिल है।

संस्था अपने सभी कार्य पारदर्शी तरीके से करने हेतु वचनबद्ध है अतः किये गए कार्यों के प्रकटीकरण (**Disclosure**) हेतु निम्नांकित मापदण्ड अपनाती है–

1. किसी भी योजना के प्रारंभ में उक्त से संबंधित भौतिक जानकारियां पंचायत कार्यालय अथवा ग्राम में ऐसे स्थान पर लगना ताकि उसे अधिकतम व्यक्ति पढ़ सके।
2. किये गए कार्यो के स्थानो पर डिसप्ले बोर्ड में जानकारी अंकित करना, जैसे जल संरक्षण संरचनाओं की जानकारी प्रदर्शन प्लॉट आदि
3. ग्राम स्तरीय कार्य आधारित समूहो की बैठको में भौतिक व वित्तीय प्रगति का प्रस्तुतीकरण।
4. ग्राम स्तर पर किये गये कार्यो का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराना। जिस हेतु पृथक रूप से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जायेगे।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष की चारों ग्राम सभाओं में किए गए सहयोग व अभिसरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना।
6. टीम स्तर में वर्ष में एक बार पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया जावे जिसमे संस्था व पंचायत के माध्यम से किये गए सम्मिलित व उल्लेखनीय प्रयासो का प्रस्तुतीकरण करना।
7. प्रत्येक वर्ष किये गए उत्कृष्ठ कार्यो, समन्वय, अभिसरण के लिए किसी एक पंचायत को सम्मा. नित करना। सम्मेलन में ग्राम पंचायतो के सदस्य, कार्य आधारित समूहो के सदस्य, वाटरशेड कमेटी के सदस्य, शासकीय कर्मचारियो व क्षेत्र के सम्मानित सदस्यो की उपस्थित आवाश्यक होगी।
8. आडियो विडियो के माध्यम से किये गए कार्यो का प्रस्तुतीकरण।
9. किये गए कार्यो द्वारा हुए बदलाव का आकलन कर ग्रामसभा मे प्रस्तुतीकरण।
10. संस्था सूचना अधिकार के अनुसार कार्य करती है, तथा उस पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू होता है।
11. संस्था अपने वित्तीय लेखें वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) में प्रकाशित करती है।